न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /52/2011

जगतपाल पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी ग्रांम सुनारी तहसील व जिला भरतपुर
.....**अपीलार्थी**

बनाम

1–सतीश पुत्र गोविन्दसिंह
2–देवीसिंह
3–शेरसिंह } पिसरान नत्थीलाल } जाति बाढई निवासी सुनारी तहसील व जिला भरतपुर
4–मेघसिंह
5–जगदीश । पिसरान चन्दन जाति जाट निवासी सुनारी तहसील व
6–हरभान । जिला भरतपुर

.....**रेस्पो0**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर बाबत नामान्तकरण संख्या 493 दिनांक 3.2.1974 बाके ग्रांम सुनारी, तहसील भरतपुर

———

उपस्थितः–
1– श्री महाराजसिंह डांगुर, अभिभाषक अपीलान्ट,
2– रेस्पो0 अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक 15.01.2025**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ नामान्तकरण संख्या 493 दिनांक 03.02.1974 बाके ग्रांम सुनारी, तहसील भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 493 दिनांक 03.02.1974, (आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 01 बीघा 3 विस्वा गैर मुमकिन चारागाह पर) नत्थी पुत्र थानसिंह जाति बाढई सा0 देह गैरखातेदारी (एलोटी) के हक में दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.11.2011 को पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये हैं। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट को इकतरफा में सुना गया।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 4 बीघा 10 विस्वा की भूमि किस्म गै.मु. चारागाह है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 460 के रकबा में से 01 बीघा 03 विस्वा रकबा को नत्थीलाल पुत्र थानसिंह को आंबटन कर जरिये

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 493 दिनांक 03.02.1974 से नत्थीलाल के हक गैर खातेदारी का नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। तहसीलदार भरतपुर द्वारा गे.मु. चारागाह भूमि पर नियमों के विपरीत नत्थीलाल के हक गैर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित आराजी गैरमुमकिन चारागाह भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग गांव के पशुओं के चराने के काम मे आती है, ऐसी भूमियॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है, जिस पर किसी भी व्यक्ति को गैरखातेदारी/खातेदारी किसी भी प्रकार से नहीं दी जा सकती है। जिस आवंटन आदेश से आवंटन किया गया है वह भी गलत है नियमों के विपरीत है। रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 के पिता को मौके पर कोई कब्जा नही दिया गया है, और ये भूमिहीन काश्तकार भी नहीं थे। रेस्पो.संख्या 1 लगायत 4 के पिता ने विवादित आराजी को रेस्पो संख्या 5, 6 को बेचान कर देने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 23.11.2011 को भूमि की नकल लेने से हुई, अपील की देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट अपील की देरी को माफ करते हुये अपील स्वीकार की जाकर नियमों के खिलाफ स्वीकार किये गये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 493 दिनांक 03.02.74 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गोर किया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। म्याद के सन्दर्भ में आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

> " Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0वी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 493 दिनांक 3.2.74 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण के कॉलम संख्या 16 में हो रहे इन्द्राज से जाहिर आया कि यह नामान्तकरण पट्टा कमेटी के आवंटन दिनांक 27.5.73 के

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

आधार पर आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 4 बीघा 11 विस्वा में से 01 बीघा 03 विस्वा गे.मु.चारागाह का नत्थीलाल पुत्र थानसिंह के हक में दर्ज किया जाकर तहसीलदार भरतपुर द्वारा गैर खातेदारी का स्वीकार किया गया है। उक्त नामान्तकरण के कालॅम संख्या 05 में भूमि किस्म मकबूजा चारागाह दर्ज है। यानि रेस्पो. संख्या 1 लगायत 04 के पिता नत्थीलाल पुत्र थानसिंह को चारागाह भूमि का आंबटन किया जाकर जरिये नामान्तकरण संख्या 493 दिनांक 3.2.74 से गैर खातेदार दर्ज किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसी भूमियॉ प्रतिबन्धित श्रेणी में आती हैं जिन पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से आंबटन, गैर खातेदारी नहीं दी जा सकती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नम्बर 1132/2011 @SLP(c) No.3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.1.2011 में चारागाह/जोहड पायतन (catchment of a pond / water Reservois) और तालाबों (ponds) की भूमियों में से निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये दी गयी भूमियों अर्थात किये गये आंबटनों को अवैध माना है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 28.1.2011 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ–10(3)राज–6/2001/7 जयपुर दिनांक 25.4.2011 में चारागाह भूमियों/जोहड पायतन (catchment of a pond / water Reservois) और तालाबों (ponds) की भूमियों का निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये आंबटन व नियमन को तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाने के आदेश दिये गये हैं। अतः चारागाह भूमि पर किसी निजी व्यक्ति को आबंटन नहीं किया जा सकता है, तथा विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–16 की प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों में आती है। अस्तु आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 4 बीघा 11 विस्वा में से 01 बीघा 03 विस्वा गै.मु. चारागाह का नत्थीलाल पुत्र थानसिंह के हक में किये गये कथित आंबटन दिनांक 27.5.73 को एवं उसके आधार पर स्वीकार किये गये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 493 दिनांक 03.2.74 को निरस्त किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 4 बीघा 11 विस्वा में से 01 बीघा 03 विस्वा गै. मु.चारागाह का नत्थीलाल पुत्र थानसिंह के हक में किये गये कथित आंबटन दिनांक 27.5.73 को एवं उसके आधार पर स्वीकार किये गये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 493 दिनांक 03.2.74 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.1.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर